प्रश्न सं. [क्र. 3468]

मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय

प्रश्न

(1)	प्रश्न क्रमांक	:	3468
(2)	उत्तर भेजने का अन्तिम तिथि	:	01/03/2021
(3)	सदन में उत्तर देने का दिनांक	:	09/03/2021
(4)	वर्ग	:	1
(5)	विभाग का नाम	:	किसान कल्याण तथा कृषि विकास

विषय:- भावांतर भुगतान में हुए घोटाले की जांच बाबत्।

अतारांकित श्री नीलांशु चतुर्वेदी

क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्रं	प्रश्न	उत्तर
क	क्या मुख्यमंत्री भावांतर योजना, कृषक समृद्धि योजना में माह अक्टूबर 2017 से जुलाई 2019 तक रीवा संभाग में फर्जी खरीदी-बिक्री कराने के प्रकरण प्रकाश में आए है? यदि हां तो मंडी बोर्ड द्वारा कितने प्रकरणों में जांच पूर्ण की एवं कितने प्रकरणों पर दोषी अधिकारी, कर्मचारियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? पूर्ण विवरण मंडी का नाम सहित दें।	जी हां। मंडी समिति नागौद एवं सिंगरौली में प्रकरण पाये गये। अ. बोर्ड के पत्र क्रमांक 3393 दिनांक 25.01.2019 से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नागौद को दल प्रमुख बनाया जाकर 05 सदस्यी जांच दल का गठन कर जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रतिवेदन भेजे जाने हेतु कलेक्टर जिला सतना को लिखा गया। कलेक्टर जिला सतना से जांच प्रतिवेदन अप्राप्त रहने से जिला कलेक्टर स्तर पर लंबित है। ब. मंडी समिति सिंगरौली की शिकायत की जांच आंचलिक कार्यालय रीवा को पत्र क्रमांक 1612 दिनांक 04.05.2018 को सौंपी गई, जांच आंचलिक कार्यालय रीवा स्तर पर प्रक्रियाधीन है।
ख	प्रश्नांश (क) के संबंधित प्रकरणों में मंडी बोर्ड से दोषियों के विरूद्ध पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराने के निर्देश दिए गए है? यदि हां तो मंडी का नाम योजना का नाम दोषी का नाम, बोर्ड मुख्यालय का पत्र क्रमांक दिनांक, एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई तो कारण भा बतायें?	बोर्ड के पत्र क्रमांक 3393 दिनांक 25.01.2019 से गठित जांच दल द्वारा जांच कर प्रतिवेदन नही दिए जाने से एफ.आई.आर. दर्ज नही की गई।

ग	प्रश्नांश (क), (ख) के अंतर्गत प्रकरणों में किन अधिकारियों/ कर्मचारियों को निलंबित कर विभागीय जांच गठित की गई है? यदि हां तो मंडी कर्मचारी/अधिकारी का नाम, निलंबन आदेश क्रमांक, आरोप पत्र जारी होने का प्रकरण क्रमांक, दिनांक एफ.आई.आर. दर्ज होने की दिनांक सहित पूर्ण विवरण दें ? यदि एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई तो कारण भी बतायें ?	बोर्ड के पत्र क्रमांक 3393 दिनांक 25.01.2019 से गठित जांच दल द्वारा जांच कर प्रतिवेदन नही दिए जाने से शेष का प्रश्न ही उपस्थित नही होता।
घ	प्रश्नांश (क), (ख) (ग) के परिपेक्ष्य में समान प्रकरणों पर समान कार्यवाही न कर भेदभावपूर्ण कार्यवाही मंडी बोर्ड द्वारा करायी जाने की उच्च स्तरीय जांच करायी जायेगी? यदि हां तो कब तक यदि नही तो क्यों ?	बोर्ड के पत्र क्रमांक 3393 दिनांक 25.01.2019 से गठित जांच दल द्वारा जांच कर प्रतिवेदन नही दिए जाने से शेष का प्रश्न ही उपस्थित नही होता।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

परिशिष्ट 1 पृष्ठ 1 से 2

24.2.21

संयुक्त संचालक (भा.भु.यो.)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल